UPKJ010013292018

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधि०) कक्ष सं०–1, कन्नौज।

उपस्थित– श्री हरि प्रसाद (एच०जे०एस०)

विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या–80/2018

उत्तर प्रदेश सरकार .....**अभियोजन पक्ष।**

बनाम

विमला देवी पत्नी जनार्दन गोपाल,

निवासी–डिगसरा थाना गुरसहायगंज, जनपद कन्नौज .....**अभियुक्ता ।**

मुकदमा अपराध सं०–820/2016
धारा–138 बी विद्युत अधिनियम
थाना–कोतवाली गुरसहायगंज, जनपद कन्नौज।

निर्णय

1. उपरोक्त दाण्डिक वाद थाना **कोतवाली गुरसहायगंज** जनपद कन्नौज के मुकदमा अपराध संख्या–820/2016 में प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर संस्थित किया गया है। इस मामले में अभियुक्ता **विमला देवी** के विरुद्ध **धारा 138 बी विद्युत अधिनियम 2003** का अपराध आरोपित है।

2. इस मामले का पंजीकरण सम्बन्धित थाने में अभियोगी अवर अभियंता रमेश कुमार मौर्या द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/तहरीर **(प्रदर्श क–1)** के आधार पर किया गया जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि दिनांक 13.11.2016 को समय लगभग 11.00 बजे से 13.00 बजे तक मैं रमेश कुमार मौर्या, अवर अभियन्ता, 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र अनौगी अपने हमराहियों के साथ विद्युत संयोजनों की वसूली व निरीक्षण के दौरान पूर्व में बकाये पर काटे गये निम्न संयोजन अपने स्तर से जोड़कर चलाते हुये पाये गये जो कि विद्युत अधिनियम की धारा–138 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है–

विमला देवी पत्नी जनार्दन गोपाल, ग्राम डिगसरा, कनेक्शन संख्या–6613/002872 लोड़ 10 है। अतः मुल्जिम उपरोक्त के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने की कृपा की जाए।

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.03.10 11:21:13 IST
Reason: ACCUSED ACQUITTAL
Location: ADJ COURT NO 1 KANNAUJ

3. इस मामले में स्थानीय थाना द्वारा विवेचनोपरान्त **अभियुक्ता विमला देवी** के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 138 विद्युत अधिनियम 2003 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लेने एवं आवश्यक विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति करने के उपरान्त **दिनांक 28.08.2025** को अभियुक्ता **विमला देवी** के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा **138 बी** विद्युत अधिनियम 2003 में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्ता ने स्वयं के विरूद्ध विरचित आरोप से इन्कार करते हुये विचारण की मांग की।

4. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी वादी मुकदमा/पी०डब्लू० 1 अवर अभियंता रमेश कुमार मौर्या एवं पी.डब्लू.–2 टी.जी. 2 सबस्टेशन बहादुरपुर लालाराम को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श क–1 प्रदर्शांकित किया गया है।

5. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्ता का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्ता ने कथन किया है कि मेरे विरुद्ध लगाया गया आरोप गलत है। मेरे विरुद्ध झूंठा मुकदमा लिखा दिया। अभियुक्ता की तरफ से कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. इस दाण्डिक वाद में अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध विरचित आरोप के निर्धारण के लिये प्राप्त साक्ष्यों का विश्लेषण निम्न प्रकार किया जा रहा है–

7. अभियोजन साक्षी/वादी मुकदमा **पी०डब्लू०–1 अवर अभियंता रमेश कुमार मौर्या** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 13.11.2016 को समय लगभग 11.00 बजे से 13.00 बजे तक मैं विद्युत उपकेन्द्र अनौगी अपने हमराहियों के साथ विद्युत संयोजन की वसूली व निरीक्षण के दौरान पूर्व में बकाये पर काटे गये निम्न संयोजन अपने स्तर से जोड़कर चलाते पाये गये। अभियुक्ता विमला देवी पत्नी जनार्दन गोपाल ग्राम डिगसरा कनेक्शन संख्या–6613/002872 लोड 10 एच.पी. का संयोजन है। अभियुक्ता विमला देवी के विरूद्ध धारा–138 विद्युत अधिनियम के तहत तहरीर लिखकर अपने हमराही संविदा कर्मी रामविलास, अरूण कुमार, लाइनमैन लालाराम को तहरीर पढ़कर सुनायी व तहरीर पर स्वयं हस्ताक्षर करके थाना गुरसहायगंज तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया। पत्रावली में मौजूद मूल तहरीर कागज संख्या–4A/3 पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। इस मुकदमे के सम्बन्ध में दरोगाजी ने मेरा बयान लिया था। मेरी निशानदेही पर नक्शा नजरी तैयार किया था। अभियुक्ता

विमला देवी का संयोजन निजी नलकूप का है। अभियुक्ता ने अपना बकाया बिल 6,91,064/–रूपये व शमन शुल्क 20,000/–रूपये दिनांक 20.08.2025 तक विद्युत विभाग में जमा नहीं किया गया है। विद्युत विभाग की आख्या पत्रांक संख्या–8621 दिनांक 20.08.2025 को विद्युत विभाग से जारी की गयी है जो पत्रावली में मौजूद है।

साक्षी/वादी मुकदमा **पी०डब्लू०–1 अवर अभियंता रमेश कुमार मौर्या** ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से सम्बन्धित नक्शा बनाया गया था जो पत्रावली में देखकर साक्षी ने कहा कि पत्रावली में घटनास्थल का नक्शा दाखिल नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मैंने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लिखाई है।

इस प्रकार साक्षी पी.डब्लृ–1 के बयान से यह विदित होता है कि साक्षी पी०डब्लू०–1 अवर अभियंता रमेश कुमार मौर्या ने अपने मुख्य परीक्षा में अभियुक्ता विमला देवी के विरुद्ध विद्युत संयोजन को बकाया पर काटे जाने के उपरान्त पुनः जोड़कर उपयोग करने का आरोप लगाया है तथा उसी आधार पर थाना गुरसहायगंज में तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराना बताया है किन्तु साक्षी पी.डब्लू–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से सम्बन्धित जो **घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया था, वह पत्रावली में दाखिल नहीं है**। साथ ही यह भी कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट उसने **अपने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लिखाई थी**। अभियोजन द्वारा घटनास्थल से सम्बन्धित कोई भौतिक साक्ष्य अथवा नक्शा नजरी अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है, जिससे अभियुक्ता द्वारा कथित रूप से अवैध रूप से विद्युत संयोजन जोड़कर उपयोग करना संदेह से परे सिद्ध हो सके। इस आधार पर उक्त साक्षी का बयान एवं अभियोजन कथानक संदेह की परिधि में हो जाता है।

8. अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू.–2 टी.जी. 2 लालाराम** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 13.11.2016 को समय लगभग 11.00 बजे से 13.00 बजे तक मैं व रमेश कुमार अवर अभियन्ता 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र अनौगी अपने हमराहियों के साथ विद्युत संयोजन की वसूली व निरीक्षण के दौरान पूर्व में बकाये पर काटे गये संयोजन अपने स्तर से जोड़कर चलता हुआ पाया गया। अभियुक्ता विमला देवी का लोड 10 किलोवाट का है। पूर्व में अभियुक्ता का संयोजन बकाये पर काट दिया गया था। अभियुक्ता द्वारा कटा हुआ कनेक्शन अपने स्तर से चलता पाया गया। अभियुक्ता विमला देवी का संयोजन निजी नलकूप का है। अभियुक्ता ने अपना बकाया

बिल 6,91,064/–रूपये व शमन शुल्क 20,000/– दिनांक 20.08.2025 तक विद्युत विभाग में नहीं जमा किया गया। विद्युत विभाग की आख्या पत्रांक संख्या–8621 दिनांक 20.08.2025 को विद्युत विभाग में जारी की गयी जो कि पत्रावली में मौजूद है। घटनास्थल से वापस उपकेन्द्र अनौगी आकर वादी रमेश कुमार मौर्या अवर अभियन्ता ने अभियुक्ता विमला के विरूद्ध धारा–138 विद्युत अधिनियम के तहत तहरीर लिखकर अपने हमराही संविदा कर्मी रामविलास व अरूण कुमार, लाइनमैन व मैं लालाराम हम सबको तहरीर पढ़कर सुनाई व रमेश कुमार मौर्या अवर अभियन्ता ने हस्ताक्षर करके थाना गुरसहायगंज पर तहरीर देकर अभियुक्ता विमला देवी के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया। पत्रावली में मौजूद मूल तहरीर कागज संख्या–4ए/3 पर **प्रदर्श क–1** पूर्व से अंकित है। इस मुकदमे के सम्बन्ध में दरोगाजी ने मेरा बयान लिया था।

साक्षी **पी.डब्लू.–2 टी.जी. 2 लालाराम** ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि केबिल नहीं उतारी गयी थी। मौके पर जिस अवैध केबिल से उपभोग चल रहा था, उसको नहीं उतारा था न ही उसकी फर्द बनायी गयी। मौके पर जो प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई गयी है उसपर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। पत्रावली में घटनास्थल का नक्शा दाखिल नहीं है।

इस प्रकार साक्षी पी.डब्लू–2 के बयान से यह विदित होता है कि उक्त साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि **मौके पर जिस अवैध केबिल से उपभोग चल रहा था, उसको नहीं उतारा था न ही उसकी फर्द बनायी गयी। मौके पर जो प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई गयी है उसपर मेरे हस्ताक्षर नहीं है**। अभियोजन द्वारा घटनास्थल से सम्बन्धित कोई भौतिक साक्ष्य अथवा नक्शा नजरी अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है, जिससे अभियुक्ता द्वारा कथित रूप से अवैध रूप से विद्युत संयोजन जोड़कर उपयोग करना संदेह से परे सिद्ध हो सके। इस आधार पर उक्त साक्षी का बयान एवं अभियोजन कथानक संदेह की परिधि में हो जाता है।

9. पत्रावली के परिशीलन से यह विदित होता है कि पत्रावली में तहरीर में अंकित शेष साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है, जिसका कोई कारण अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार अभियुक्ता के विरूद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा–138 विद्युत अधिनियम 2003 को साक्षी पी.डब्लू–1 अवर अभियन्ता रमेश कुमार मौर्या व पी.डब्लू.–2 टी.जी. 2 लालाराम के बयान से साबित होना नहीं कहा जा सकता है।

10. राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक ने कथन किया है कि

प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्ता द्वारा पूर्व में विच्छेदित संयोजन को पुनः अपने स्तर से जोड़कर विद्युत का चोरी से उपभोग किया जाना साबित हो रहा है। अतः अभियुक्ता इस मामले में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

11. अभियुक्ता की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि अभियुक्ता ने कोई विद्युत चोरी नहीं की। अभियुक्ता के विरुद्ध झूंठी गवाही दी गई। अभियुक्ता द्वारा इस मामले से सम्बन्धित शमन योग्य समस्त धनराशि जमा कर दिया गया है। अभियुक्ता पर अब कोई भी देय शेष नहीं है। अभियुक्ता इस मामले में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

12. मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, प्रपत्रों, पक्षों के अभिकथनों तथा प्रकटित परिस्थितियों का समग्र परिशीलन किया। अभियुक्ता के विरुद्ध विद्युत चोरी के इस एफ.आई.आर. में तथ्य है कि अभियुक्ता द्वारा पूर्व में विच्छेदित संयोजन को अपने स्तर से जोड़कर विद्युत का चोरी से उपभोग किया जा रहा था।

13. धारा–**138 बी** विद्युत अधिनियम विद्युत चोरी के अपराध में यह विनिश्चयन आवश्यक होता है कि कथित विद्युत चोरी कितने विद्युत अधिभार से किया जा रहा था तथा इस विद्युत चोरी से अभियुक्ता को कितना वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में भी अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त मामले में स्वतंत्र साक्षीगणों के साक्ष्य का अभाव है। विद्युत मीटर की कोई यांत्रिक/तकनीकी जांच आख्या प्रस्तुत नहीं है जो विद्युत चोरी के तथ्य को पुष्टि करता हो।

14. धारा–**138 बी** विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत विद्युत चोरी के आरोप को साबित करने के लिये आवश्यक विशिष्टियों का साक्ष्य न तो विवेचना में संकलित किया गया और न ही विचारण के दौरान उसे साबित कराया गया है। इस साक्ष्य विश्लेषण में यह स्थिति प्रकट हो रही है कि विद्युत चोरी के आरोप को साबित होने के लिये अभियोजन द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत साक्ष्यों से विद्युत चोरी के अपराध की विशिष्टियां साबित नहीं हो रही हैं।

15. पत्रावली में अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड छिबरामऊ, जनपद कन्नौज द्वारा लिखित आख्या दिनांकित 06.01.2026 में यह अंकित है कि पावर कारपोरेशन लिमिटेड के विभागीय अधिकारी के रूप में विभागीय नियमानुसार प्रयोगकर्ता विमला देवी पत्नी जनार्दन गोपाल से विद्युत बिल की बकाया धनराशि 2,06,349/–रूपये को जमा करा ली गयी है।

16. उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्ता के विरुद्ध लगाया गया धारा–

138 विद्युत अधिनियम 2003 (अप्राधिकृत रूप से विद्युत कनेक्शन संयोजित किया जाना) साबित नहीं हुआ है। अतः विशेष सत्र विचारण वाद संख्या–80/2018 राज्य बनाम विमला देवी अन्तर्गत धारा–**138 बी** विद्युत अधिनियम 2003 बाबत मुकदमा अपराध संख्या–820/2016 थाना–गुरसहायगंज, जनपद कन्नौज में अभियुक्ता **विमला देवी**, आरोपित अपराध में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या–80/2018 बाबत मुकदमा अपराध संख्या–820/2016, थाना–गुरसहायगंज, जनपद कन्नौज के आरोप अन्तर्गत **धारा–138 बी विद्युत अधिनियम 2003** से अभियुक्ता **विमला देवी** को **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्ता जमानत पर है।

अभियुक्ता के जमानत प्रपत्रों को निरस्त करते हुये प्रतिभूगणों को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्ता को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान के अन्तर्गत बीस हजार रूपये की एक जमानत व समान धनराशि का व्यक्तिबन्ध पत्र दाखिल करे।

दिनांक–09.03.2026

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(विद्युत अधिनियम) कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।
J.O.Code– UP6489

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक–09.03.2026

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(विद्युत अधिनियम) कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।
J.O.Code– UP6489